UPSI 120005352024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785

दीवानी वाद संख्या-138/ 2024

श्यामलाल बनाम मुन्नू आदि।

दिनाँक 29.04.2024

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत स्थाई प्रतिबन्ध जरिए अधिवक्ता श्री हरीओम सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनाँक 24.05.2024 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनाँक 31.05.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6ग²

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग² अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद के निस्तारण तक केलिए भूमिवाद स्थान ग्राम छीं परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर की गाटा संख्या 1068/ 1177 रकबा 0.0240हे० में वादी के शान्तिपूर्ण स्वत्व, अध्यासन, कब्जा व उसकी उपयोगिता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, हस्तक्षेप करने, कब्जा करने, वादी के खम्भों को विनष्ट करने, उसकी फसल को विनष्ट करने से प्रतिवादीगण को निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के कथनों के समर्थन में सूची 11ग से एक किता खतौनी सन् फसली 1427-1432 भूमि ग्राम छीं, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर, खाता संख्या 00491, गाटा संख्या 1068/ 1177 रकबा 0.0240हे०, एक किता खसरा सन् फसली 1429 भूमि छीं, खाता संख्या 491 संलग्न मूलप्रति प्रस्तुत किया गया है।

वादी की ओर से सूची 11ग से दाखिल 12ग खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 1068/ 1177 रकबा 0.0240हे० राजस्व अभिलेखों मे वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 6ग² के समर्थन में एवं विवादित भूमि पर अपने अध्यासन के समर्थ में शपथ पत्र 7ग² एवं का०सं० 11ग2/ 3 खसरा दाखिल किया गया है। वादी द्वारा दाखिल राजस्व प्रपत्रों तथा शपथ-पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला वादी का बनता है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत न्यायहित में यह

आवश्यक प्रतीत होता है कि नियत तिथि तक के लिए प्रतिवादी को वादी की उपरोक्त भूमि गाटा संख्या 1068/ 1177 रकबा 0.0240हे० स्थित ग्राम छीं, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर के किसी भी अंश पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, हस्ताक्षेप करने, कब्जा करने वादी के खम्भों को विनष्ट करने, उसकी फसल को विनष्ट करने से प्रतिवादीगण को निषेधित कर दिया जाये। तद्नुसार इस स्तर पर विवादित स्थल को संरक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अग्रिम नियत तिथि तक वादीय भूमि गाटा संख्या 1068/ 1177 रकबा 0.0240हे० स्थित ग्राम छीं, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर के किसी भी अंश पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, हस्ताक्षेप करने, कब्जा करने वादी के खम्भों को विनष्ट करने, उसकी फसल को विनष्ट करने से प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाता है। यह आदेश मात्र वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य ही प्रभावी होगा। इस आदेश का प्रभाव सीमांकन कराने वाले सक्षम प्राधिकारी पर नहीं पड़ेगा। वादी आदेश 39 नियम 3 जा०दी० का अनुपालन अविलम्ब करें। वादी के पैरवी करने के उपरान्त ही इस आदेश की प्रति जारी हो। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग^2 दिनाँक 18.05.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थन-पत्र 8ग^2

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 8ग^2 बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8ग^2 स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। अधिवक्ता कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्य निष्पादित करें तथा अपनी आख्या मय नकशा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। कमीशन कार्य हेतु वादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करें।

दिनाँक 29.04.2024

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर/ -

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2024.04.29 16:00:46 BOT
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan